



2026:AHC:128935

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
4784 वर्ष 2026

सुहैल अहमद

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 1 अन्य

विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: ब्रह्मा नंद सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. प्रारंभ में ही, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस जमानत आवेदन के प्रार्थना खंड में वाराणसी जिले के स्थान पर चंदौली जिले का उल्लेख किया गया है और इस संबंध में उन्होंने पूरक हलफनामा भी दाखिल किया है, इसलिए उन्हें इस आवेदन के प्रार्थना खंड में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाए।

2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपरोक्त के मददेनजर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को आज ही कार्यावधि के दौरान इस आवेदन के प्रार्थना खंड में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।

4. श्री राजीव धर द्विवेदी, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं, इसलिए तत्काल जमानत आवेदन का अंतिम निस्तारण किया जा सकता है।

5. आवेदक के अधिवक्ता श्री ब्रह्म नंद सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मनन कुमार चौबे और राज्य-प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी की दलीलें सुनी गईं।

6. आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 127 सन् 2026 में धारा 287, 316(3), 305(बी), 317(2), 317(4), 61(2), 112 बीएनएस, पेट्रोलियम अधिनियम की धारा 23, भ्रष्टाचार निवारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम की धारा 8 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत, पुलिस स्टेशन अली नगर, जिला वाराणसी में वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दायर की गई है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप के अनुसार आवेदक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो से चोरी की, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

8. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को न तो मौके पर गिरफ्तार किया गया था और न ही उसके कब्जे से या उसके बताने पर कथित पेट्रोल/डीजल बरामदग किया गया था, और यह मौके पर गिरफ्तार किए गए सह-अभियुक्तों के बयान के आधार पर ही उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

9. उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त के बयान के अलावा आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड में कोई अन्य सबूत नहीं है।

10. उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में आवेदक एक निजी व्यक्ति है और वह निजी वाहनों को सेवाएं प्रदान करता है और भारतीय तेल निगम के डिपो से डीजल और पेट्रोल की कथित चोरी से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

11. उन्होंने आगे बताया कि मामले की विवेचना अभी लंबित है और विवेचना अधिकारी आवेदक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है।

12. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक के साथ सह-अभियुक्त चंद्रम चौहान को भी इसी तरह के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था और उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उनका जमानत आदेश पेपर बुक के पृष्ठ-92 पर संलग्न है और आवेदक का मामला उनके मामले के समान है।

13. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन उनके आपराधिक इतिहास को इस आवेदन में स्पष्ट किया गया है।

14. उन्होंने आगे निवेदन किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

16. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

17. हालांकि, यह आरोप है कि आवेदक ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो से डीजल/पेट्रोल की चोरी की, लेकिन सह-अभियुक्त के बयान के अलावा उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है।

18. इसके अलावा, सह-अभियुक्त चंद्र चौहान, जिसे आवेदक के साथ समान आरोपों के साथ अभियुक्त बनाया गया था, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

19. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है।

20. इसके अलावा, मामले की विवेचना अभी भी लंबित है और आवेदक द्वारा उठाई गई गिरफ्तारी की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है।

21. अतः, उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के मत के अनुसार, आवेदक इस मामले में विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पाने का हकदार है।

22. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक की तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

23. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक-**सुहैल अहमद** की गिरफ्तारी की स्थिति में, मुकदमे की समाप्ति तक उसे पीठासीन अधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार सहित व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना होगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. कि आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

v. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं;

vi. आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो;

24. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को आवेदक को दी गई जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

24 जून, 2026

अंकिता

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।